क्रम संख्या–119 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 10 अगस्त, 2016 ई0

श्रावण 19, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 231/XXXVI(3)/2016/52(1)/2016

देहरादून, 10 अगस्त, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016" पर दिनांक 05 अगस्त,, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 19 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016
(अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

धारा 31 का अन्तःस्थापन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 30 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात–

31. कर निर्धारण के किसी आदेश को अपास्त करने की शक्ति :–

(1) किसी मामले में जिसमें कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या अर्थदण्ड के सम्बन्ध में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया हो, ब्यौहारी उक्त आदेश की तामीली के तीस दिन के भीतर करनिर्धारक प्राधिकारी को ऐसा आदेश अपास्त करने और उस मामले पर पुनः विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, और यदि ऐसे अधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रार्थी को नोटिस नहीं मिला था या वह पर्याप्त कारणों से नियत तारीख को उपस्थित न हो सका था, तो वह आदेश को अपास्त कर सकता है और मामले की पुनः सुनवाई प्रारम्भ कर सकता है;

परन्तु यह कि इस प्रकार के एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिए कोई प्रार्थना पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा, जब तक कि ब्यौहारी द्वारा सभी सावधिक विवरणियाँ तथा वार्षिक विवरणी पूर्ण एवं सही रूप में दाखिल न की गयी हो और उसके साथ कर की धनराशि के, जिसे ब्यौहारी ने स्वीकार किया हो, भुगतान का सन्तोषजनक प्रमाण न हो;

परन्तु यह और कि ऐसे मामले में, एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिए, प्रार्थना पत्र केवल एक ही बार ग्रहण किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई एकपक्षीय आदेश 02 मार्च, 2016 को अथवा उसके पश्चात् तामील हुआ है और इस धारा के अधीन प्रार्थना पत्र, तामीली के 30 दिन समाप्त होने के भीतर अथवा इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, दाखिल किया जाता है, तो ऐसे एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र को ग्रहण किया जायेगा बशर्ते कि दाखिल किया गया प्रार्थना पत्र इस उपधारा में विहित समस्त शर्तों को पूर्ण करता हो।

(2) यदि धारा 24 के अधीन कोई कर निर्धारण आदेश एकपक्षीय दिया जाय, तो ब्यौहारी आदेश तामील किये जाने के तीस दिन के भीतर करनिर्धारक प्राधिकारी को ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि ब्यौहारी ने ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विहित अंन्तिम तारीख से तीस दिन के भीतर विवरणी प्रस्तुत करनी है और विवरणी के अनुसार देयकर का भुगतान कर दिया है, तो वह ऐसा आदेश और उसके अधीन मांग की सूचना भी, यदि कोई हो, परिष्कृत या अपास्त कर सकेगा।

परन्तु यह कि ऐसे मामले में, एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने के लिए, प्रार्थना पत्र केवल एक ही बार ग्रहण किया जायेगा।

परन्तु यह और कि यदि कोई एकपक्षीय आदेश 02 मार्च, 2016 को अथवा उसके पश्चात् तामील हुआ है और इस धारा के अधीन प्रार्थना पत्र, तामीली के 30 दिन समाप्त होने के भीतर अथवा इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, दाखिल किया जाता है, तो ऐसे एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र को ग्रहण किया जायेगा बशर्ते कि दाखिल किया गया प्रार्थना पत्र इस उपधारा में विहित समस्त शर्तों को पूर्ण करता हो।

(3) यदि किसी ब्यौहार को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 4-क के अधीन

पात्रता प्रमाण पत्र, उस अवधि के लिये दिया गया है जिसके लिये पात्रता प्रमाण पत्र दिये जाने के पूर्व कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का आदेश या अपील में आदेश पारित किया गया है, तो ऐसा आदेश उस कर निर्धारण या अपील प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता है, या तो स्वतः या ब्यौहारी के आवेदन पर, ऐसा पात्रता प्रमाण पत्र देने वाले आदेश की प्रति के उसको प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर, अपास्त किया जा सकता है और विधि के अनुसार एक नया आदेश पारित किया जा सकता है :

परन्तु यह कि यदि ब्यौहारी द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन उपर्युक्त अवधि के भीतर किया गया हो, तो उसका निस्तारण ऐसी अवधि के बाद भी किया जा सकता है।

धारा 32(6) का अन्तःस्थापन

3. "मूल अधिनियम" की धारा 32 की वर्तमान उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात–

(6) यदि किसी कर निर्धारण वर्ष के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का कोई आदेश धारा 31 के अधीन अपास्त कर दिया जाय, तो उस वर्ष के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का नया आदेश उस तारीख से, जब पूर्ववर्ती आदेश अपास्त किया गया था, तीन माह के भीतर किया जा सकता है।

धारा 61 में संशोधन

4. "मूल अधिनियम" की धारा 61 की वर्तमान उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

(1) प्रत्येक ब्यौहारी अपने कारोबार के दौरान रखे गये सभी लेखे जिनमें उत्पादन, स्टाक, क्रय, परिदान या विक्रय से सम्बन्धित बिक्री बीजक, जमा पत्र नाम पत्र और बाउचर भी सम्मिलित है, कर निर्धारण वर्ष जिससे वे सम्बन्धित हों, की समाप्ति के पश्चात 06 वर्ष की अवधि के लिए या ऐसे कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण या अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही के पूरे होने तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो, सुरक्षित रखेगा।

धारा 62 की उपधारा (1) एवं (3) का संशोधन

5. "मूल अधिनियम" की धारा 62 की वर्तमान उपधारा (1) एवं उपधारा (3) निम्न प्रकार संशोधित कर दी जायेगी; अर्थात् –

(1) उपधारा (1) में शब्दावली "रूपये एक करोड़" के स्थान पर शब्दावली "रूपये पाँच करोड़" रख दी जायेगी।

(2) उपधारा (3) में शब्दावली "चालीस लाख से अधिक किन्तु रूपये एक करोड़ से अनधिक" के स्थान पर शब्दावली "एक करोड़ रूपये से अधिक किन्तु रूपये पाँच करोड से अनधिक" रख दी जायेगी।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

No. 231/XXXVI(3)/2016/52(1)/2016
Dated Dehradun, August 10, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Value Added Tax, (Second Amendment) Bill, 2016'** (Adhiniyam Sankhya 19 of 2016).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 05 August, 2016.

कारण एवं उद्देश्य

अधिसूचना संख्या 103/XXXVI(3)/2016/15(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(संशोधन) अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया था। इन संशोधनों में धारा 31 को समाप्त कर दिया गया था। धारा 32(6) को भी धारा 31 से संबंधित होने के कारण समाप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त धारा 61 के अन्तर्गत व्यापारी के लेखे रखे जाने की अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गयी थी। उक्त संशोधन के संबंध में विभिन्न व्यापारिक, औद्योगिक व अधिवक्ता संघों द्वारा प्रत्यावेदन दिए गए, जिसमें उनके द्वारा धारा 31 को पुनर्स्थापित किए जाने व लेखे रखे जाने की अवधि को पुनः 6 वर्ष रखे जाने की प्रार्थना की गयी है। उक्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक् विचार किए जाने के उपरान्त इन संगठनों को सुविधा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैः-

1– धारा 31 को पुनर्स्थापित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत एक पक्षीय रूप से निस्तारित वादों को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः सुनवायी हेतु खोला जा सकेगा किन्तु यह प्रतिबन्ध रखा गया है कि इस निमित्त धारा 31 का उपयोग एक ही बार किया जा सकेगा।

2– धारा 31 के पुनर्स्थापित होने के कारण इससे संबंधित धारा 32(6) भी पुनर्स्थापित किया जा रहा है, किन्तु धारा 31 के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण का नया आदेश तीन माह के भीतर करना होगा।

3– धारा 61 के अन्तर्गत लेखे रखे जाने की वर्तमान 08 वर्ष की समय–सीमा पुनः 6 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

4– धारा 62 की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्तमान में निर्धारित मौद्रिक सीमा 'रूपया एक करोड़ से अधिक' के स्थान पर 'रूपया पाँच करोड़ से अधिक' किया जाना प्रस्तावित है इससे कम टर्नओवर वाले ब्यौहारियों को वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बाध्यता से राहत मिलेगी।

5– धारा 62 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वर्तमान में निर्धारित मौद्रिक सीमा 'रूपया चालीस लाख से अधिक एवं एक करोड़ से अनधिक' के स्थान पर 'रूपया एक करोड़ से अधिक एवं पाँच करोड़ से अनधिक' किए जाने का प्रस्ताव है इससे ऑडिटेड बैलेंस शीट की सीमा आयकर अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप हो जायेगी।

2– उक्त संशोधन हेतु प्रस्ताव "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016" विधेयक के रूप में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत है।

डा० इन्दिरा हृदयेश
वित्त मंत्री

पी०एस०यू० (आर०ई०) 19 विधायी / 421–2016–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।